न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः— श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 4/2012

बउनवान

1. चतुर्भुज पुत्र कान्हा, जाति लोधा निवासी बड़गांव **(मृतक)**
1/1 बद्रीलाल आयु 55 साल पुत्र चतुर्भुज
1/2 पांचूलाल आयु 52 साल पुत्र चतुर्भुज
1/3 कंचनबाई आयु 58 साल बेवा द्वारकीलाल पुत्री चतुर्भुज
1/4 पांची आयु 49 साल पुत्री चतुर्भुज
1/5 पार्वती आयु 45 साल पुत्री चतुर्भुज अकवाम लोधा, निवासीगण बडगांव, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0) (प्रार्थीगण)

बनाम

1. रामलाल पुत्र लटूरलाल, जाति नायक, निवासी बडगांव, तहसील अन्ता, जिला बारां
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां (राज0) (अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 14 (4) भू आवंटन अधिनियम, 1970

उपस्थिति :— 1. श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक (प्रार्थीगण)
2. श्री देवकीनंन्दन, गालव अभिभाषक, (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 27.09.2022

प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बडगांव तहसील मांगरोल हाल तहसील अन्ता की आराजी खसरा नं. 960 किस्म गै.मु. नदी थी, जिसको बिना किस्म परिवर्तन कर नहरी प्रथम में परिवर्तित कर, रामलाल पुत्र लटूरलाल जाति नायक निवासी बडगांव का दिनांक 30.12.1998 को आवंटित कर दी जिसका खसरा नंबर 1442/2487 रकबा 0.49 है. है। उक्त आराजी प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 1442 वाके ग्राम बडगावं के लगवा स्ट्रीप ऑफ लैण्ड है, जो सदैव प्रार्थी के कब्जे काश्त में रही है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट धारा 16 के तहत कृषि नदी की तटीय भूमि का आवंटन निषेध है, और इनकी किस्म भी परिवर्तन बिना किसी राजकीय आदे[illegible] की [illegible] है। परन्तु नदी की तटीय भूमि को किस्म परिवर्तन कर उसका अवैधानिक रूप से अप्रार्थ[illegible] के हक में आवंटन कर दिया गया। जो विधि विरूद्ध है। उक्त आवंटन हेतु [illegible]न नही हुआ, और ना ही भू आवंटन नियमों के तहत घोषणा पत्र [illegible]र्थी क्रम 1 (आवंटी) [illegible]टन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में भूमिहीन बताया [illegible]या है। जबकी आवंटी [illegible] के पास पेत्रिक जायदाद लगभग 50 बीघा पूर्व से ही मौजूद है जिसमें अप्रार्थी का नोशनल शेयर स्थापित है। अप्रार्थी ने फ्रार्ड एवं मिसरिप्रीजेन्टेशन कर आवंटन कमेटी को धोखे मे रखकर सही तथ्यो को

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:51 IST
Reason: SelfAttested

छिपाकर आवंटन करवाया गया है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में जारी आवंटन आदेश दिनांक 30.12.1998 आराजी खसरा नंबर 1442/2487 रकबा 0.49 है. वाके ग्राम बडगांव निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से भू आवंटन रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए।

अभिभाषक अप्रार्थी की तरफ से जवाब पेश कर निवेदन किया कि आवंटन कमेटी का गठन नियमानुसार किया गया और भू आवंटन आदेश पूर्ण कोरम द्वारा दिया गया है, जो आदेश से स्पष्ट है। आवंटन नियमानुसार आवंटन योग्य भूमि घोषित कर उद्घोषणा जारी की गई है, और इच्छुक व्यक्तियों द्वारा आवेदन पेश हुये है। आवंटन तिथि को भूमि गैर मुमकिन नदी नहीं थी और आवंटन के पूर्व ही भूमि की किस्म बदल दी गई थी, आवंटन दिवस पर भूमि की किस्म नहरी प्रथम थी। जिसकी कीमत फरमाकर दखल के पूर्व प्रार्थी से अप्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है। और खातेदार काश्तकार बन चुका है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है। प्रार्थी जनबल एवं धनबल के आधार पर अप्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थी भूमिहीन था जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा की गई है। अप्रार्थी के पिता के पास वक्त आवंटन 1.87 है. भूमि थी और उसके तीन पुत्र होने से चारो का हिस्सा केवल 0.47 है. बनता था। अप्रार्थी अनुसूचित जाति का भूमिहीन व्यक्ति होने से आवंटन पूर्ण नियमानुसार किया गया है। अप्रार्थी को आवंटन 30.12.1998 को हुआ जिसकी पालना में कीमत भूमि पूर्ण जमा कर देने व नियमित काश्त के आधार पर सन 2008 में खातेदारी अधिकार दिये गये। प्रार्थी का मुख्य कथन यह है कि आवंटित आराजी गैर मुमकिन नदी थी जिसको राजस्व अधिकारियों ने बिना राज्य सरकार की अनुमति के किस्म परिवर्तन कर दिया परन्तु प्रार्थी ने यह नहीं दर्शाया कि किसने भूमि की किस्म कब परिवर्तित की ओर उस आदेश को प्रार्थी ने चुनौती क्यों नहीं दी। न्यायालय श्रीमान् को इस आवेदन के निस्तारण के समय भूमि की स्मि परिवर्तन के आदेश की वैद्यता को तय फरमाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र आधारहीन मेलाफाईड होने एवं अप्रार्थी खातेदार काबिज काश्त होने एवं आवंटन पूर्ण नियमानुसार होने पर आवेदन निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बडगांव की आराजी खसरा नंबर 1442/2487 रकबा 0.49 है. अप्रार्थी को दिनांक 30.12.1998 को आवंटित की गई। उक्त भूमि प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 1442 वाके ग्राम बडगावं के लगवा स्ट्रीप ऑफ लैण्ड है, जो सदैव प्रार्थी के कब्जे काश्त रही है। आराजी खसरा नंबर 1442 रकबा 0.49 है. साबिक खसरा नंबर 960 मि. से कायम हुआ है जिसकी किस्म गै.मु. नदी थी। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट धारा 16 के तहत कृषि नदी की तटीय भूमि का आवंटन निषेध है। परन्तु नदी की तटीय भूमि को किस्म परिवर्तन कर उसका अवैधानिक रूप से अप्रार्थी क्रम 1 [illegible] में आवंटन कर दिया गया। अप्रार्थी क्रम 1 (आवंटी) ने आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत [illegible] आवेदन पत्र में भूमिहीन बताया है। अप्रार्थी ने फार्ड एवं मिसरिप्रीजेन्टेशन [illegible] रखकर सही तथ्यो को छिपाकर आवंटन करवाया गया है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में जारी आवंटन आदेश दिनांक 30.12.1998 निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी को आवंटित आराजी चम्बल कमांड क्षेत्र की है, जो कीमतन आवंटित की गई है। आवंटन शर्तों की पालना करने एवं तय शुदा राशि जमा करवाने के उपरान्त अप्रार्थी को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 पोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा किस्म परिवर्तन आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। प्रार्थी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नही किया है। वक्त आवंटन भूमि धारिता की रिपोर्ट है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि ग्राम बडगांव की आराजी खसरा नंबर 1442/2487 रकबा 0.49 है. अप्रार्थी कम 1 को दिनांक 30.12.1998 को आंवटित की गई है। जिस पर नियमानुसार अप्रार्थी को मुताबिक जमाबंदी संवत 2069–72 खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। खातेदार के विरूद्ध प्रकरण अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम पोषणीय नहीं है।

परिणामस्वरूप, खातेदार के विरूद्ध प्रकरण अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:51 IST
Reason: SelfAttested